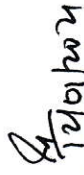


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	रीवा जिले के अंतर्गत वन मंडल, रीवा के परिक्षेत्र सिरमौर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 112 की वनभूमि जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 13.1959 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक, मार्शल स्माल हाइड्रों पावर प्रायवेट लिमिटेड, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---


(सुनील अग्रवाल)

भा.व.सं.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

तिथि: 12.01.2021

स्थान: भोपाल